



Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016 (M.P.)

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

Ph : 0755-2464428, PBX : 2466191, Fax : 0755-2463742 E-mail : it_mppcb@rediffmail.com Web : www.mppcb.mil.in

प्रेस विज्ञप्ति अपील

दीपावली प्रकाश का पर्व है, परन्तु दीपावली के समय ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक विभिन्न प्रकार के पटाखों का उपयोग प्रदेश के प्रायः समस्त क्षेत्रों में किया जाता है। ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक पटाखों के उपयोग के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा मानव अंगों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है एवं कुछ पटाखों से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता 100 डेसीबल से भी अधिक होती है। अतः ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है।

उपरोक्त के संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना जी.ए.आर. 682(ई) दिनांक 05.10.1999 में पटाखों के लिये ध्वनि स्तर मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं:-

(1) प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई.)या 145 डी.बी.(सी) पी कं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय डी.बी.(सी) पी कं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय या उपयोग प्रतिषिद्ध होगा।

(2) लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये ऊपर वर्णित सीमा $5 \log_{10} (N)$ dB तक कम किया जा सकेगा, जहाँ N = एक साथ जुड़े हुए पटाखों संख्या।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट-पिटीशन (सिविल) क्रमांक 72/1998 "ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण" के परिप्रेक्ष्य में 18 जुलाई 2005 को जारी जजमेंट में दिये गये निर्देशानुसार रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि कारक पटाखों को चलाया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

पटाखों के जलाने के उपरान्त उनसे उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जायें, जहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत/पेयजल स्रोत है, क्योंकि विस्फोटक सामग्री खतरनाक रसायनों से निर्मित होती है।

अध्यक्ष

सदस्य सचिव



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462 016 (M.P.)

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

Ph : 0755-2464428, PBX : 2466191, Fax : 0755-2463742 E-mail : ic_mppcb@rediffmail.com Web : www.mppcb.mct.in

प्रेस विज्ञप्ति अपील

दीपावली पर्व के दौरान बहुत मात्रा में विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील एवं ध्वनि कारक पटाखों का उपयोग प्रदेश के प्रायः समस्त क्षेत्रों में किया जाता है। इन पटाखों में बारूद एवं अन्य खतरनाक रसायनों का उपयोग होने के कारण परिवेशीय वायु की गुणवत्ता एवं ध्वनि स्तर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो मानव अंगों के लिये भी हानिकारक है। पटाखों के जलने से उत्पन्न कागज के टुकड़े एवं अधजली बारूद बच जाती है तथा इस कचरे के सम्पर्क में आने वाले पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना रहती है।

अतः आम जनता से निवेदन है कि पटाखों को जलाने के पश्चात उत्पन्न कचरे को घरेलू कचरे के साथ न रखे। उन्हें अलग स्थान पर रखकर नगर-निगम के कर्मचारियों को सौंप दें। नगर-निगम एवं नगर पालिकाओं से भी यह भी अनुरोध है कि पटाखों का कचरा पृथक संग्रहित करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष

सदस्य सचिव